# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7731/2024 दयानन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.05.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 13.06.2024 को समर्पित अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

06/08/2024

## आदेश

संवेदक दयानन्द कुमार, पिता–नागेश्वर प्रसाद साह, पता– डुमरिया, वार्ड संख्या–03, नियर काली मन्दिर, जिला–किशनगंज एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–01 उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि याचिकाकर्त्ता संवेदक दयानन्द कुमार, द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के अधीन PMGSY-III योजना अन्तर्गत पैकेज संख्या– BR-18P-3R24 (Tender ID-127745) से संबंधित निविदा में Key Plant and Equipment का गलत कागजात संलग्न किया गया है, जो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11 (क) की उप कंडिका (ix) के तहत दण्डनीय है।

इनके द्वारा निविदा में Water Tanker के दिनांक 12.04.2013 का Cashmemo अपलोड किया गया है, जिसमें दो अद्द Water Tanker की कीमत 56000/– रूपया अंकित है तथा CST(5%) 7800/- रूपया अंकित है जो कि 2800/– रूपया होना चाहिए। इतना ही नहीं Cashmemo पर 56000/– रूपया और 7800/- रूपया का योग 163800/– रूपया अंकित है, जो कि मात्र 63800/– रूपया होना चाहिए। इस प्रकार अपलोड किया गया Cashmemo, Forged एवं Fabricated होने के कारण इन्हें विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **1580** दिनांक **30.03.2024** द्वारा 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।

उक्त कालीकृत आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्त्ता दयानन्द कुमार, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में संदर्भित वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7731/ 2024, दयानन्द कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना दिनांक 08.05.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"7. The contention raised in the reply to substantiate Annexure P-11 on the basis of a mistake committed by the employee cannot be countenanced. We hence do not find any reason to interfere with the order passed of blacklisting of four years, but however the petitioner would be entitled to file a representation before the appropriate authority for reduction of the period of blacklisting, which will be considered on the mitigating circumstances pleaded; at the discretion of the authority.

(95)

8. The writ petition stands dismissed with the above observations."

संवेदक द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन दिनांक–13.06.2024 के माध्यम से बताया गया है कि इनके पिता जी का स्वर्गवास दिनांक–21.02.2024 को हो गया। जिस कारण यह अपना प्रतिउत्तर ससमय समर्पित नहीं कर सके। उक्त निविदा में अपलोड किये गए दिनांक 12.04.2013 के कैश मेमो में उल्लेखित पानी के टैंकर की कीमत 56,000/– रुपया थी, तथा CST(5%) की गणना 7,800/– रुपया थी, जबकि 56,000/– का 5% 2,800/– के बराबर था, तथा 56,000 + 7,800 को योग 63,800/– के बराबर था, लेकिन कैश मेमो में इसे 1,63,000/– रुपया बताया गया था। (दिनांक 12.04.2013 के कैश मेमो की एक सच्ची फोटोकॉपी अनुलग्नक पी–12 के रूप मे संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है)। अपलोड किया गया कैश मेमो वास्तविक था इसमें कोई परिवर्त्तन या बनावट नहीं की गयी थी बल्कि यह केवल जारीकर्त्ता की ओर से एक मात्र गलत गणना/टाईपोग्राफिकल त्रुटि थी, जिसके आधार पर कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–01 द्वारा उपस्थित होकर तथा अपने प्रतिवेदन (पत्रांक 1409 दिनांक 22.07.2024) द्वारा बताया गया कि उक्त निविदा में Cashmemo, Forged एवं Fabricated होने के कारण इन्हें 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में संवेदक द्वारा पुनः बताया गया कि आमंत्रित निविदा में भूलवश पानी के टैंकर से संबंधित अन्य बील अपलोड हो गया है, जबकि Lease के माध्यम से भी अन्य संवेदको से Key Plant and Equipment प्राप्त कर निविदा में भाग लिया जाता है। साक्ष्य स्वरूप इनके द्वारा क्रय किये गये दो अद्द Water Tanker का Cashmemo उपलब्ध कराया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **1580** दिनांक **30.03.2024** द्वारा 04 (चार) वर्षो के लिए निर्गत कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त **(Set aside)** करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

**बिहार सरकार,**
**ग्रामीण कार्य विभाग,**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–02–122/2024 4494 /पटना, दिनांक 08/8/24

निबंधित

प्रतिलिपिः– संवेदक दयानन्द कुमार, पिता–नागेश्वर प्रसाद साह, पता– डुमरिया, वार्ड संख्या–03, नियर काली मन्दिर, जिला–किशनगंज, पिन कोर्ड 855108 को सूचनार्थ प्रेषित।

08/8/2024

(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–122/2024 4494 /पटना, दिनांक– 08/8/24

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/2024

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–122/2024 4494 /पटना, दिनांक– 08/8/24

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/2024

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–122/2024 4494 /पटना, दिनांक– 08/8/24

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08/8/2024

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–122/2024 4494 /पटना, दिनांक– 08/8/24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/2024

सरकार के उप सचिव